


कलॉड V13 एकका
88, 188 RTA वाद सं. 273/21

पत्रावली पेश हूँ. वकील द्वारा कार्य
25 ²/₁₂ स्थगत/P.O का सं. 405/दि. 6.12.10 को प्राप्त,
द्वारे पर होने के कारण शीख पेशी
लगा दी गई। पत्रावली दिनांक 28.2.22
को पेश हो।

28 ²/₁₂ पत्रावली पेश हूँ. वकील द्वारा कार्य
स्थगत/P.O का सं. 405/दि. 6.12.10 को प्राप्त,
द्वारे पर होने के कारण शीख पेशी
लगा दी गई। पत्रावली दिनांक 2.3.22
को पेश हो।

3.22. वादीगण
पत्रावली पेश। अवाव स्टेट प्राप्त। गृहपत्रावली की ओर सं
आवेदन उपासील। वही दावा चुनी गयी।
वाद अनुसार साबिक ख. नं. 141 रकबा 20.10 बीघा चारगाह
में सं. 2.14 बीघा भूमि गै. भू. आवादी दर्ज की गयी।
आवादी की भूमि 2.14 बीघा का ख. नं. 141 कायम किया गया।
वाद अनुसार भू-पंच द्वारा बसावट के विधिवत स्थान पर नक्शा
इस में आवादी दर्ज कर दी, जबकि चारगाह स्थित भूमि के
वर्कालीन सखपंच द्वारा पट्टे जारी किये गये हैं।
अवाव स्टेट अनुसार 2.14 बीघा आवादी की वर्कालीन
वर्कालीन आदेश नं. 405/दि. 6.12.10 की पाठना में की
गयी है तथा साबिक वर्तमान नक्शा शीट में कोई अंतर
नहीं है।
अतः वाद वादीगण ~~पत्रावली~~ साबित नहीं होने के कारण
खारिज किया जाता है।


(रजिस्ट्रार सि.सि.)
2.3.22.